कार्यालय नियत प्राधिकारी / नगर मजिस्ट्रेट, विनियमित क्षेत्र, सीतापुर

प्रपत्र 'ग'

(नियम 6 का उप नियम (2) और (4) देखिये)

भूमि के लिए विकास अनुज्ञा पत्र की प्रारम्भिक स्वीकृति या /अस्वीकृति के लिए प्रपत्र

पत्रांक– 26 /अनुज्ञा / तलपट मानचित्र / सीतापुर / 2017–18 दिनांक– 01-05-18

सेवा में,

भूमि डेवलपर एसोसिएट्स
द्वारा अधिकृत श्री शिव चन्द्र सिन्हा
पुत्र स0 हरिनाम चन्द्र सिन्हा
निवासी– 220, सिविल लाइन, सीतापुर।

महोदय,

कालोनी / मार्ग लखनऊ से दिल्ली (N.H.-24) ग्राम अहाता कस्बा नगर सीतापुर में शजरा संख्याः 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 141/1, 143/1, 145/1, 146, 147/1, 147/2, 148 व 149/1 में भूमि के विकास के लिए अनुज्ञा स्वीकृत करने के लिए आपके आवेदन पत्र– 633/17-18 दिनांक 23.3.2018 के संदर्भ में मुझे आपको यह सूचित करना है कि नियत प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रारम्भिक स्वीकृति दी जाती है:–

1. तलपट पर मानचित्र की स्वीकृति की अवधि पांच वर्ष होगी तथा विकास कार्य के प्रस्ताव को परिवर्तित करने की दशा में पुनः संशोधित तलपट मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
2. प्रार्थीगण राज्य सरकार या सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी के मार्गों, सार्वजनिक पार्कों तथा लोकोपयोगी संकायों के लिए उक्तगणों में रखी जाने वाली भूमि ऐसे निबन्धों एवं शर्तों पर जो निर्दिष्ट की जाये, अन्तरित करेगा।
3. आन्तरिक विकास कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण कराये जाने वाले एवं मौके की स्थिति के अनुसार विकास कार्यों का अवलोकन करने के उपरान्त बन्धक रखे गये प्लाट संख्या– एल–32 से एल–49 (18 भूखण्ड) जिनका कुल क्षेत्रफल 1822.19 वर्ग मी0 है, बन्धक रखे जा रहे है। जिसको मानचित्र में हरे रंग से दर्शाया गया है, को नियत प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार चरणबद्ध तरीके से अवमुक्त किया जायेगा।

क्रमश पेज......2

4. सभी भूखण्डों के भवन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु पृथक से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5. स्वामित्व सम्बन्धी विवाद होने की दशा में अथवा किसी सूचना को छिपाकर कपटपूर्ण तरीके से स्वीकृत कराये गये मानचित्र को आर0बी0ओ0 एक्ट 1958 की धारा–7(ए) के अन्तर्गत निरस्त किया जा सकेगा। मानचित्र को स्वामित्व सिद्ध करने के लिए किसी न्यायालय में प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

6. तलपट मानचित्र में दर्शित छायादार वृक्ष अनिवार्य रूप से लगाये जायेगें।

7. आवेदक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक भूखण्ड पर बोरिंग (जलापूर्ति) व सीवरेज के सम्बन्ध में सेप्टिक टैंक व सोकपिट पृथक रूप से भूखण्ड स्वामी द्वारा स्वंय अपने स्तर से बनाये जायेगें।

8. तलपट मानचित्र स्वीकृति के एक वर्ष के पश्चात कराये गये आन्तरिक कार्यों की समीक्षा की जायेगी। विकास की प्रगति संतोषजनक न होने पर आवेदक को सचेत करने के उपरान्त भी आवेदक द्वारा आन्तरिक विकास कार्य को गति तेज नहीं की जाती है तो बन्धक रखे गये भूखण्डों को आवश्यकतानुसार विक्रय कर अवशेष कार्यों को नियत प्राधिकारी द्वारा पूर्ण कराने की कार्यवाही की जायेगी।

9. तलपट मानचित्र में दर्शायी गयी ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण अनिवार्य रूप से सर्वप्रथम किया जायेगा।

10. नियत प्राधिकारी के साथ निष्पादित अनुबन्ध पत्र व बन्धक पत्र में दिये गये विवरण व शर्तों का अनुपालन प्रार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0प्र0 की अनापत्ति आख्या स्वीकृत मानचित्र का अंश है व, इसमें निहित शर्तों का शतप्रतिशत अनुपालन बाध्यकारी है।

01/5/14

अवर अभियन्ता
विनियमित क्षेत्र, सीतापुर।

नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/
नगर मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

संलग्नक– स्वीकृत तलपट मानचित्र की एक प्रति।